संख्या-236/2016/1554/22-2-2016-17(26)/2005

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पंजाब सिंह पुत्र श्री मानसिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34859/प्रोबे0-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पंजाब सिंह पुत्र श्री मानसिंह, निवासी ग्राम-देवकली, थाना-बण्डा, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। पूर्व हुई भाई की हत्या के केस में नामजद अतिराज सिंह को मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.10.1977 की मध्य रात्रि में बन्दूक, पिस्तौल, भाला से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या की व कई अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-110/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149 व 302/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 12-04-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2016 तक 26 वर्ष 04 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 34 वर्ष 07 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 04 सहअभियुक्तों कारागार में निरूद्ध है तथा 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, बन्दी पुन: अपराध अपराध करने में अशक्त नहीं होने, सजा पूर्ण होने पर रिहा किया जाय, परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक भाला से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने एवं कई अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पंजाब सिंह पुत्र श्री मान सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी पंजाब सिंह (बन्दी संख्या-33554) पुत्र श्री मानसिंह निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-236/2016/1554(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-236/2016/1554/22-2-2016-17(26)/2005

दिनांक 23 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पंजाब सिंह पुत्र श्री मानसिंह, निवासी ग्राम-देवकली, थाना-बण्डा, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। पूर्व हुई भाई की हत्या के केस में नामजद अतिराज सिंह को मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.10.1977 की मध्य रात्रि में बन्दूक, पिस्तौल, भाला से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या की व कई अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-110/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149 व 302/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 12-04-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2016 तक 26 वर्ष 04 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 34 वर्ष 07 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 04 सहअभियुक्तो कारागार में निरूद्ध है तथा 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, बन्दी पुन: अपराध अपराध करने में अशक्त नहीं होने, सजा पूर्ण होने पर रिहा किया जाय, परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक भाला से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने एवं कई अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पंजाब सिंह पुत्र श्री मान सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in